

पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल निर्देशन में, थाना रामगांव पुलिस द्वारा धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

प्रेस विज्ञापित

बहराइच पुलिस

सराहनीय कार्य गिरफ्तारी 01 नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 457/2024 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट थाना रामगांव जनपद बहराइच

प्रेस विज्ञापित

दिनांक- 02.09.2024
मु0अ0सं0-मु0अ0सं0 457/2024 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट
थाना- रामगांव

विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वृन्दा शुक्ला जनपद बहराइच द्वारा पूर्व से वाछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण), श्री पवित्र मोहन त्रिपाठी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय महसी श्री रुपेन्द्र कुमार गौड़ के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजयकान्त द्विवेदी मय हमराह का0 रामसेवक सोनकर के द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 457/2024 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट में वाछित अभियुक्त राहुल पुत्र घनश्याम निवासी अम्बेडकर नगर दा0 खसहा मोहम्मदपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच को मुखबिर-खास की सूचना पर अम्बेडकर नगर से बलवापुर आने वाली रोड के पास से समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान कर माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

1. राहुल पुत्र घनश्याम निवासी अम्बेडकर नगर दा0 खसहा मोहम्मदपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच

पुलिस टीम

1. उ0नि0 अजय कान्त द्विवेदी
2. का0 राम सेवक सोनकर
थाना रामगांव जनपद बहराइच



पाक्सो एक्ट का आरोपित गिरफ्तार

रामगांव : थानाध्यक्ष एके सिंह ने बताया कि दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के दर्ज केस में आरोपित फरार चल रहा था। सोमवार को उपनिरीक्षक अजय कांत द्विवेदी ने अम्बेडकर नगर खसहा मोहम्मदपुर निवासी राहुल को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। (संसू)